

इज़राइल: कुख्यात अपराधी

इज़राइल का अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढांचों का पालन न करने का व्यापक रिकॉर्ड, जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के प्रस्ताव, संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के प्रस्ताव, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) की सलाहकारी राय और अस्थायी उपाय, और युद्धविराम समझौते शामिल हैं, इसे एक कुख्यात अपराधी राज्य के रूप में स्थापित करता है जो बिना किसी सजा के काम करता है और वैश्विक मानदंडों और दायित्वों की व्यवस्थित रूप से अवहेलना करता है। ये उल्लंघन, जो दशकों तक फैले हैं और जिसमें सैन्य आक्रामकता, क्षेत्रीय कब्जा, मानवाधिकार उल्लंघन, और शांति समझौतों का उल्लंघन शामिल है, इज़राइल की कानूनविहीन, दुष्ट और बहिष्कृत राज्य की स्थिति को रेखांकित करते हैं। यह निबंध इन ढांचों में गैर-अनुपालन की कुल संख्या और सबसे महत्वपूर्ण उदाहरणों को रेखांकित करता है, विशेष रूप से इज़राइल के 2024 ICJ सलाहकारी राय को न मानने पर जो इसके निपटान कार्यक्रम को रोकने और गाजा में मार्च 2025 से नरसंहार को रोकने के लिए ICJ के अस्थायी उपायों पर केंद्रित है, जो इज़राइल के इतिहास में अंतरराष्ट्रीय कानून के सबसे स्पष्ट और गंभीर उल्लंघनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अतिरिक्त, यह उन उल्लेखनीय युद्धविराम समझौतों का विवरण देता है जिनका इज़राइल पर उल्लंघन का आरोप लगाया गया है, जो अंतरराष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था के प्रति इसकी पूर्ण अवहेलना को मजबूत करता है।

कुल संख्या और महत्वपूर्ण UNSC प्रस्ताव

इज़राइल पर 1955 से 2024 तक कम से कम **53 UNSC प्रस्तावों** का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है, जो सैन्य कार्रवाइयों, निपटानों और क्षेत्रीय विवादों को संबोधित करते हैं। निम्नलिखित सबसे महत्वपूर्ण हैं, जो आरोपों की गंभीरता को दर्शाते हैं:

- **प्रस्ताव 106 (1955):** गाजा में छापेमारी के लिए इज़राइल की निंदा की, जो अवैध सैन्य आक्रामकता के शुरुआती आरोपों को चिह्नित करता है।
- **प्रस्ताव 171 (1962):** सीरिया पर हमले के लिए इज़राइल को “घोर उल्लंघन” में पाया, जो क्षेत्रीय अतिक्रमण को उजागर करता है।
- **प्रस्ताव 446 (1979):** निर्धारित किया कि पूर्वी यरुशलम सहित कब्जे वाले क्षेत्रों में इज़राइली निपटान शांति के लिए “गंभीर बाधा” हैं, जो चौथे जेनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन करते हैं।
- **प्रस्ताव 497 (1981):** गोलन हाइट्स के इज़राइल के कब्जे को “शून्य और अमान्य” घोषित किया, और इसे रद्द करने की मांग की।
- **प्रस्ताव 2334 (2016):** इज़राइली निपटानों की अवैधता की पुनः पुष्टि की, सभी निपटान गतिविधियों को रोकने की मांग की।
- **प्रस्ताव 2728 (2024):** गाजा में तत्काल युद्धविराम की मांग की, जिसमें इज़राइल की निरंतर सैन्य कार्रवाइयों और मानवीय सहायता में बाधा डालने के आरोप शामिल हैं, जिसमें सात कार्यकर्ताओं की हत्या करने वाला एक सहायता काफिले पर हमला शामिल है।

इज़राइल का गैर-अनुपालन इसके निरंतर निपटान विस्तार, कब्जे वाले क्षेत्रों से वापस न हटने, और युद्धविराम की मांगों के बावजूद निरंतर सैन्य कार्रवाइयों में स्पष्ट है, जो अवहेलना का एक पैटर्न दर्शाता है।

कुल संख्या और महत्वपूर्ण UNGA प्रस्ताव

UNGA ने 1969 से 2024 तक लगभग **200 प्रस्तावों** को अपनाया है, जो इज़राइल पर मानवाधिकार, निपटानों और क्षेत्रीय संप्रभुता के उल्लंघन का आरोप लगाते हैं, जिसमें 2015 से 2023 तक 154 प्रस्ताव और 2024 में 17 प्रस्ताव शामिल हैं। सबसे महत्वपूर्ण में शामिल हैं:

- **प्रस्ताव 2546 (1969):** कब्जे वाले क्षेत्रों में मानवाधिकार उल्लंघनों की निंदा की, जो जांच के लिए एक मिसाल कायम करता है।
- **प्रस्ताव 31/61 (1976):** दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद के साथ इज़राइल के सहयोग के कारण प्रतिबंधों की मांग की।
- **प्रस्ताव 36/27 (1981):** इराकी परमाणु सुविधाओं पर इज़राइल के हमले की निंदा की, मुआवजे की मांग की।
- **प्रस्ताव 77/247 (2022):** 2024 ICJ सलाहकारी राय के लिए अनुरोध किया गया।
- **18 सितंबर, 2024 का प्रस्ताव:** इज़राइल से कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में अपनी “अवैध उपस्थिति” समाप्त करने की मांग की, जिसमें सैनिकों की वापसी, निपटानों की समाप्ति, और मुआवजे की मांग की गई, जो 2024 ICJ राय से जुड़ा हुआ है।

इज़राइल का निपटान रोकने, कब्जे वाले क्षेत्रों से वापस हटने, या मानवाधिकार चिंताओं को संबोधित करने से इनकार वैश्विक सहमति की अवहेलना को रेखांकित करता है।

कुल संख्या और महत्वपूर्ण ICJ निर्णय, अस्थायी उपाय, और सलाहकारी राय

इज़राइल पर **तीन ICJ सलाहकारी रायों** और एक विवादास्पद मामले में **अस्थायी उपायों** का पालन न करने का आरोप लगाया गया है। सबसे महत्वपूर्ण में शामिल हैं:

- **सलाहकारी राय (1971) – दक्षिण अफ्रीका की नामीबिया में निरंतर उपस्थिति के कानूनी परिणाम:** दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद के साथ इज़राइल के सहयोग के कारण अप्रत्यक्ष रूप से इज़राइल को फंसाया, जैसा कि UNGA प्रस्ताव 31/61 (1976) में उल्लेख किया गया। 1980 के दशक तक इज़राइल के निरंतर संबंध गैर-अनुपालन का सुझाव देते हैं।
- **सलाहकारी राय (2004) – दीवार के निर्माण के कानूनी परिणाम:** कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में इज़राइल की दीवार को अंतरराष्ट्रीय कानून के विपरीत पाया, जो चौथे जेनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन करता है। इज़राइल को निर्माण रोकने, दीवार को ध्वस्त करने, और मुआवजा देने का दायित्व था, लेकिन दीवार का शासन बना हुआ है।
- **सलाहकारी राय (2024) – इज़राइल की नीतियों और प्रथाओं के कानूनी परिणाम:** इज़राइल के कब्जे को अवैध घोषित किया, जिसमें मानवीय कानून, मानवाधिकार कानून, और कब्जे और रंगभेद पर प्रतिबंध के उल्लंघन का हवाला दिया गया। इज़राइल को अपनी उपस्थिति समाप्त करने, बसने वालों को निकालने, और मुआवजा देने का आदेश दिया गया।
- **अस्थायी उपाय (2024-2025) – दक्षिण अफ्रीका बनाम इज़राइल (नरसंहार मामला):** इज़राइल को नरसंहार के कृत्यों को रोकने, मानवीय सहायता सुनिश्चित करने, और रफाह में सैन्य कार्रवाइयों को रोकने का आदेश दिया गया, जिसमें जनवरी, मार्च और मई 2024, और मार्च 2025 में उपाय जारी किए गए। मार्च 2025 से गाजा पर इज़राइल की पूर्ण घेराबंदी इन आदेशों का उल्लंघन करती है।

इज़राइल का इन निर्णयों और उपायों का पालन करने में विफलता ICJ के अधिकार को अस्वीकार करने को उजागर करती है।

कुल संख्या और उल्लेखनीय युद्धविराम समझौते

इज़राइल पर 2006 से कम से कम **पांच प्रमुख युद्धविराम समझौतों** का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है, मुख्य रूप से गाजा और लेबनान में, जो शांति प्रयासों को कमजोर करता है। सबसे उल्लेखनीय में शामिल हैं:

- **2006 लेबनान युद्धविराम (UNSC प्रस्ताव 1701):** इज़राइल ने लेबनानी क्षेत्र से पूरी तरह से वापसी नहीं की और हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया, जिससे शत्रुता समाप्त करने की शर्तों का उल्लंघन हुआ।
- **2012 गाजा युद्धविराम:** इज़राइल पर सैन्य अतिक्रमण और हवाई हमलों का आरोप लगाया गया, जिसने फिलिस्तीनी गुटों के साथ शत्रुता रोकने के समझौते का उल्लंघन किया।
- **2014 गाजा युद्धविराम:** इज़राइल ने नवंबर 2012 से जुलाई 2014 के बीच 191 उल्लंघन किए, जिनमें घातक हमले शामिल थे, जबकि फिलिस्तीनी गुटों द्वारा 75 उल्लंघन किए गए।

- **2024 लेबनान युद्धविराम:** इज़राइल ने 24 घंटे की अवधि में 52 उल्लंघन किए, जिसमें सैन्य कार्रवाइयां शामिल थीं।
- **2025 गाजा युद्ध युद्धविराम:** इज़राइल पर 350 से अधिक उल्लंघनों का आरोप लगाया गया, जिसमें 155 फिलिस्तीनियों की हत्या करने वाले हवाई हमले, फिलाडेल्फी कॉरिडोर से वापस न हटने, और सहायता में बाधा डालना शामिल है।

ये उल्लंघन, जो अक्सर सैन्य कार्रवाइयों और सहमति शर्तों का पालन करने में विफलता को शामिल करते हैं, इज़राइल की शांति प्रतिबद्धताओं के प्रति अवहेलना को दर्शाते हैं।

2024 ICJ सलाहकारी राय का इज़राइल का गैर-अनुपालन

19 जुलाई, 2024 को जारी 2024 ICJ सलाहकारी राय, और 18 सितंबर, 2024 को UNGA प्रस्ताव के रूप में अपनाई गई, ने इज़राइल के फिलिस्तीनी क्षेत्र (वेस्ट बैंक, पूर्वी यरुशलम, और अक्टूबर 2023 से पहले गाजा) के कब्जे को अवैध घोषित किया, जिसमें अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून, मानवाधिकार कानून, और रंगभेद के उन्मूलन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के तहत कब्जे और रंगभेद पर प्रतिबंध के उल्लंघन का हवाला दिया गया। कोर्ट ने इज़राइल के निपटान विस्तार को उजागर किया, जिसमें नवंबर 2022 से अक्टूबर 2023 तक लगभग 24,300 आवास इकाइयों को आगे बढ़ाया या स्वीकृत किया गया, और यरुशलम की जनसांख्यिकीय संरचना को बदलने वाले उपायों को अवैध कृत्यों के रूप में चिह्नित किया।

ICJ ने इज़राइल को निम्नलिखित करने का आदेश दिया: - सभी नए निपटान गतिविधियों को रोकना और बसने वालों को निकालना। - सैन्य बलों को वापस लेना और कब्जे का समर्थन करने वाले प्रशासनिक उपायों को समाप्त करना। - 1967 से हुए नुकसान के लिए मुआवजा देना, जिसमें भूमि वापस करना और विस्थापित व्यक्तियों की वापसी की सुविधा देना।

124 मतों के साथ पारित UNGA प्रस्ताव ने इन दायित्वों को मजबूत किया, जिसमें इज़राइल से एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर अपनी "अवैध उपस्थिति" समाप्त करने की मांग की गई। इज़राइल का गैर-अनुपालन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि 2024 और 2025 में नए आवास इकाइयों को स्वीकृत करने के साथ निपटान निर्माण जारी रहा, और बसने वालों की निकासी या सैन्य वापसी की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। इज़राइली सरकार ने ICJ राय को अमान्य के रूप में खारिज कर दिया और निपटानों का विस्तार करने और पूर्वी यरुशलम की स्थिति को बदलने की नीतियों को जारी रखा। यह अवहेलना, एक लगभग सर्वसम्मति से ICJ निर्णय और UNGA के भारी समर्थन के खिलाफ, इज़राइल के इतिहास में सबसे स्पष्ट उल्लंघनों में से एक है, जो अंतरराष्ट्रीय कानून और फिलिस्तीनी आत्मनिर्णय पर वैश्विक सहमति के प्रति पूर्ण अवहेलना को दर्शाता है।

नरसंहार को रोकने के लिए ICJ अस्थायी उपायों का इज़राइल का गैर-अनुपालन

दक्षिण अफ्रीका बनाम इज़राइल नरसंहार मामले में, ICJ ने जनवरी, मार्च और मई 2024, और मार्च 2025 में अस्थायी उपाय जारी किए, जिसमें इज़राइल को गाजा में नरसंहार के कृत्यों को रोकने, मानवीय सहायता तक पहुंच सुनिश्चित करने, और विशेष रूप से रफाह में सैन्य कार्रवाइयों को रोकने का आदेश दिया गया। ये उपाय इज़राइल की सैन्य अभियान के बीच नरसंहार के आरोपों के जवाब में थे, जिसके परिणामस्वरूप 2025 की शुरुआत तक गाजा के सरकारी मीडिया कार्यालय के अनुसार 43,000 से अधिक फिलिस्तीनी मौतें और 75,577 घायल हुए।

मार्च 2025 से, गाजा पर इज़राइल की पूर्ण घेराबंदी, जिसमें सभी मानवीय सहायता, भोजन, पानी, और चिकित्सा आपूर्ति को अवरुद्ध करना शामिल है, इन उपायों का प्रत्यक्ष और गंभीर उल्लंघन करता है। घेराबंदी ने व्यापक अकाल को जन्म दिया है, जिसमें बड़े पैमाने पर भुखमरी और 43,000 से अधिक की मृत्यु की संख्या की रिपोर्टें हैं। रफाह और अन्य क्षेत्रों में इज़राइल की निरंतर हवाई हमले और जमीनी कार्रवाइयां नरसंहार के कृत्यों को रोकने के ICJ के आदेशों की अवहेलना करती हैं। अप्रैल 2024 में एक सहायता काफिले पर हमला, जिसमें सात कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, मानवीय पहुंच को सुविधाजनक बनाने के दायित्व का और उल्लंघन करता है। ये कार्रवाइयां, स्पष्ट ICJ निर्देशों की प्रत्यक्ष अवहेलना में, अंतरराष्ट्रीय कानून के साथ इज़राइल के अनुपालन में एक ऐतिहासिक निम्न स्तर का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो विनाशकारी मानवीय परिणामों में योगदान देती हैं और नरसंहार को रोकने के वैश्विक प्रयासों को कमजोर करती हैं।

इज़राइल एक कुख्यात अपराधी, दुष्ट और बहिष्कृत राज्य के रूप में

इज़राइल का 53 UNSC प्रस्तावों, 200 UNGA प्रस्तावों, तीन ICJ सलाहकारी रायों, नरसंहार मामले में अस्थायी उपायों, और पांच प्रमुख युद्धविराम समझौतों का व्यवस्थित गैर-अनुपालन इसे एक कुख्यात अपराधी राज्य के रूप में स्थापित करता है। 2024 ICJ राय और UNGA प्रस्ताव को मानने से इनकार, जो निपटान कार्यक्रम को रोकने का आदेश देता है, और मार्च 2025 से गाजा पर नरसंहार की घेराबंदी लागू करना, इज़राइल के इतिहास में सबसे स्पष्ट और गंभीर उल्लंघनों का प्रतिनिधित्व करता है। ये कार्रवाइयां, जिनके परिणामस्वरूप भारी मानवीय पीड़ा, क्षेत्रीय कब्जा, और 43,000 से अधिक मौतें हुई हैं, इज़राइल को एक दुष्ट राज्य के रूप में स्थान देती हैं जो अंतरराष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था को कमजोर करता है और UNGA के जवाबदेही के लिए भारी समर्थन द्वारा साक्ष्यित वैश्विक निंदा द्वारा अलग-थलग एक बहिष्कृत राज्य के रूप में।

निष्कर्ष

इज़राइल के UNSC और UNGA प्रस्तावों, ICJ सलाहकारी रायों और अस्थायी उपायों, और युद्धविराम समझौतों का लगातार उल्लंघन एक ऐसे राज्य को प्रकट करता है जो अंतरराष्ट्रीय कानून की पूर्ण अवहेलना के साथ काम करता है। 2024 ICJ राय और UNGA प्रस्ताव द्वारा निपटान कार्यक्रम को रोकने से इनकार, और मार्च 2025 से गाजा पर पूर्ण घेराबंदी लागू करना, जो नरसंहार को रोकने के लिए ICJ उपायों की अवहेलना करता है, इसके इतिहास में सबसे गंभीर उल्लंघन हैं। ये कार्रवाइयां, बार-बार शांति समझौतों के उल्लंघन के साथ, इज़राइल की कुख्यात अपराधी, दुष्ट और बहिष्कृत राज्य की स्थिति को मजबूत करती हैं, जिसके लिए जवाबदेही लागू करने और न्याय बहाल करने के लिए तत्काल अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता है।

प्रमुख उद्धरण

- इज़राइल से संबंधित संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों की सूची विकिपीडिया पृष्ठ
- प्रस्ताव 2334 पर संयुक्त राष्ट्र प्रेस विज्ञप्ति
- फिलिस्तीन से उल्लंघनों पर पत्र
- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इज़राइल से कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में अवैध उपस्थिति समाप्त करने की मांग की संयुक्त राष्ट्र समाचार
- ICJ सलाहकारी राय, दीवार के निर्माण के कानूनी परिणाम (2004)
- ICJ सलाहकारी राय, दक्षिण अफ्रीका की नामीबिया में उपस्थिति के कानूनी परिणाम (1971)
- ICJ सलाहकारी राय, इज़राइल की नीतियों और प्रथाओं के कानूनी परिणाम (2024)
- ICJ अस्थायी उपाय, दक्षिण अफ्रीका बनाम इज़राइल (2024-2025)
- अल जज़ीरा: इज़राइल गाजा युद्धविराम समझौते का उल्लंघन कैसे कर रहा है?
- विकिपीडिया: 2025 गाजा युद्ध युद्धविराम
- विजुअलाइजिंग फिलिस्तीन: युद्धविराम उल्लंघन
- संयुक्त राष्ट्र दस्तावेज़ीकरण: प्रस्ताव 1701